

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएस

प्रकरण सं० : 19/2021

1. रामनिवास पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी कणाऊ त० भादरा।

:- वादी

ब न म

1. भगवानाराम पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी कणाऊ त० भादरा।

2. श्योराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी कणाऊ त० भादरा।

3. सुमित्रा पुत्री भगवानाराम जाति जाट निवासी कणाऊ त० भादरा।

4. एसबीआई शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक भादरा।


5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री धर्मपाल बेरवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सतवीर बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कणाऊ के खाता सं० 165/168 के खसरा सं० 91 की 0.2530 है० खसरा सं० 91/3 की 2.0280 है०, खसरा सं० 156/4 की 2.9580 है०, खसरा सं० 157/2 की 2.6720 है० कुल 7.9110 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 भगवानाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज में से वादी व प्रतिवादी सं० 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं० 3 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं० 1 रामनिवास व प्रतिवादी सं० 1 भगवानाराम व प्रतिवादी सं० 2 श्योराम को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29-01-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ
A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ



न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएस

प्रकरण सं० : 19/2021

1. रामनिवास पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी कणाऊ त० भादरा।

:- वादी

ब नाम

1. भगवानाराम पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी कणाऊ त० भादरा।
2. श्योराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी कणाऊ त० भादरा।
3. सुमित्रा पुत्री भगवानाराम जाति जाट निवासी कणाऊ त० भादरा।
4. एसबीआई शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरुस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज०काश्त०अधि० 1955

उपस्थिति : वकील श्री धर्मपाल बेरवाल : वादी

वकील श्री सतवीर बैनीवाल : प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक : 29-01-2021



संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा कणाऊ के खाता सं० 165/168 के खसरा सं० 91 की 0.2530 है० खसरा सं० 91/3 की 2.0280 है०, खसरा सं० 156/4 की 2.9580 है०, खसरा सं० 157/2 की 2.6720 है० कुल 7.9110 बारांनी खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 भगवानाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं० 1 के पिता किशनाराम की खातेदारी हुआ करती थी। किशनाराम के देहान्त होने पर उक्त भूमि को प्रतिवादी सं० 1 भगवानाराम ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू हैं तथा हिन्दू विधि से शासित होते हैं। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाऊ बनाकर सुधार करना चाहते हैं जिसके लिए उन्हें केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। वकील वादी ने प्रतिवादी सं० 4 को तर्क अंकित किया। व प्रतिवादी सं० 5 स्टेट की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नहीं

अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यू रामनिवास पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी कणाऊ के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम कणाऊ संवत 2072-5 खाता सं० 165/168 प्रदर्श 1, सत्यप्रति जमाबंदी भूप्रबंध विभाग रोही

मौजा कणाऊ संवत 2029-38 प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत कणाऊ प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दरस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम कणाऊ के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 3 में वारिसप्रमाण पत्र में भगवानाराम के दो पुत्र रामनिवास, श्योराम व एक पुत्री सुमित्रा के अलावा अन्य कोई वारिस होना नहीं बताया गया है। वाद भूमि रोही मौजा कणाऊ के खाता सं 165/168 के खसरा सं 91 की 0.2530 है 0 खसरा सं 91/3 की 2.0280 है 0, खसरा सं 156/4 की 2.9580 है 0, खसरा सं 157/2 की 2.6720 है 0 कुल 7.9110 वारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 भगवानाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज में से वादी व प्रतिवादी सं 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। चूंकि प्रतिवादी सं 3 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।।

कियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कणाऊ के खाता सं 165/168 के खसरा सं 91 की 0.2530 है 0 खसरा सं 91/3 की 2.0280 है 0, खसरा सं 156/4 की 2.9580 है 0, खसरा सं 157/2 की 2.6720 है 0 कुल 7.9110 वारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 भगवानाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज में से वादी व प्रतिवादी सं 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं 3 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं 1 रामनिवास व प्रतिवादी सं 1 भगवानाराम व प्रतिवादी सं 2 श्योराम को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23-01-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



23
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़